न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या –55/2023

उनवान

छाज्या पुत्र किशना जाति गुर्जर निवासी भालपुर तह0 सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैया पुत्र गंगल्या
2. पवन पुत्र सोहनलाल
3. मन्नू पुत्र सोहनलाल
4. लल्लू पुत्र मूल्या
   समस्त जाति बैरवा निवासी भालपुर तह0 सिकराय जिला दौसा।
5. पूरणमल पुत्र गोपाल लाल जाति कोली निवासी नांगल गोविन्द हाल कृषक भालपुर तह0 सिकराय जिला दौसा।
6. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिकराय जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
8. उगन्ती पत्नी स्व0 नत्थू
9. महेश पुत्र नत्थू
10. मानसिंह पुत्र छाज्या
11. रामराज पुत्र नत्थू
12. हरिराम पुत्र छाज्या

    8 लगायत 12 समस्त जाति गुर्जर निवासी भालपुर तह0 सिकराय जिला दौस।
13. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा मीना सीमला।

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अ0धा0 251क आर0टी0ए0

प्रार्थी की ओर से श्री कैलाश चन्द्र बैंसला एड0

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

निर्णय प्रार्थना पत्र 251क आर0टी0ए0, प्रकरण संख्या 55/2023 उनवान– छाज्या बनाम न्हैया वगै0

अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनील कुमार गुप्ता एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** ~~23.03.2026~~ (30/03/2026)

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थी ग्राम भालपुर तह0 सिकराय जिला दौसा का निवासी है, प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 51 पुराना 43 के खसरा नंबर 146 रकबा 2.5300 है0 किस्म चाही वाके रामा भालपुर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 144 रकबा 1.1600 है0, अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 157 रकबा 0.7000 है0, खसरा नंबर 258 रकबा 0.3000 है0, खसरा नंबर 159 रकबा 0.2700 है0, वाके रामा भालपुर तह0 सिकराय में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 12 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 145 रकबा 1.2600 है0 वाके रामा भालपुर तह0 सिकराय में स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 146 जो कि प्रार्थी की तनहा खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है पर आवागमन के लिए पशु मवेशियों एवं कृषि संबंधी उपकरण हल बैलगाडी, उंटगाडी, ट्रैक्टर आदि के लिए खसरा नंबर 144, 145, 157, 158, 159 में से होकर प्राचीन काल से ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 8 लगायत 12 उक्त उपयोग उपभोग में तथा प्रार्थी को अपने कृषि भूमि पर पहुंचने व पशु मवेशियों एवं कृषि संबंधी उपकरण हल बैलगाडी, उंटगाडी, ट्रैक्टर आदि को लाने व ले जाने में बाधा उत्पन्न करने लग गये है और आये दिन बिना वजह मार्ग अवरूद्ध कर विभिन्न प्रकार से आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे है। दिनांक 10.02.2022 को प्रार्थी जब अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 146 पर ट्रैक्टर से खाद लेकर जा रहा था तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 12 द्वारा प्राचीन काल से चले आ रहे रास्ते को अवरूद्ध करने की कोशिश की तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर खाद लेकर जाने से रोकने का प्रयास किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 12 को काफी समझाया मान मनुहार की कि यह रास्ता प्राचीन काल से निरन्तर बिना किसी विघ्न बाधा के चला आ रहा है इसे आ लोग अवरूद्ध ना करें तो अप्रार्थी नाराज हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी कि हर सूरत में जो प्राचीन काल से रास्ता सुचारू रूप से चालू है उसे मौका मिलते ही पूर्ण रूपेण बन्द करके रहेंगे तथा तुम्हें तुम्हारी कृषि भूमि पर जाने तथा पशु मवेशियों एवं कृषि संबंधी उपकरण हल बैलगाडी, उंटगाडी, ट्रैक्टर आदि को भी नहीं ले जाने देंगे

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

तथा झगडा करने पर उतारू हो गये। बडी मुश्किल से लोगों ने समझा कर मामला शान्त किया। प्रार्थी जो कि एक जागरूक किसान है तथा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु तथा पशु, मवेशियों एवं कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्राप्त अधिकारों के तहत रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है तथा जो कि प्राचीन काल से रास्ता सुचारू रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के चला आ रहा है जिसे संलग्न नक्शा ट्रैस में बैरंग लाल सुर्ख रंगा से दर्शाया गया है। यदि इसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य में आपस में दीवानी व फौजदारी मुकदमेबाजी चल पडेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना पत्र 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 146 वाके रामा भालपुर कृषि भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 144, 145, 157, 158, 159 में होकर जिसे संलग्न नक्शा ट्रैस में बैरंग लाल सुर्ख रंग से दर्शाया गया है को प्रार्थी को दिये जाने तथा रास्ता निकालने की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में तरमीम की जाने के आदेश प्रदान किए जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

इत्यादि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को तलबी सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रकरण में बिन्दुवार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र निहायती झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। खसरा नंबर 157, 158, 159 वाके ग्राम भालपुर के खातेदार बाबूलाल पुत्र मांग्या, मूलचंद पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी भालपुर हाल दिल्ली दर्ज थे किन्तु उक्त भूमि पर उक्त लोगों का कब्जा नहीं था। उक्त भूमि में से खसरा नंबर 159 पर खसरा नंबर 162, 163 के खातेदारों का कब्जा है। जिन्होने उक्त भूमि पर तारबंदी करके और मौके पर कब्जा कर रखा है। तथा भूमि खसरा नंबर 157, 158, 159 के एक भी इंच भू भाग पर अप्रार्थी नंबर 5 का कब्जा नहीं है। और ना ही कभी रहा है ना ही आज है। उक्त भूमि खसरा नंबर 157, 158, 159 की प्रार्थी छाज्या ने बेनामी रजिस्टरी उक्त प्रतिवादी संख्या 5 के नाम करवायी है। उक्त भूमि की खातेदारी बाबूलाल, मूलचंद पुत्र मांग्या के नाम सेटलमेण्ट ने गलत लगायी है और गलत जगह तरमीम की है। जवाब प्रार्थना पत्र में ही प्रार्थी द्वारा एक वाद उनवानी छाजूलाल बनाम मूल्या वगै0 मु0न0 24/2003 सिविल न्यायाधीश सिकराय के समक्ष खसरा नंबर 46 बाबत पेश किये जाने के संबंध में तथ्य अंकित किए है तथा वैकल्पिक मार्ग दूसरे स्थान से होने बाबत तथ्य जवाब

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अंकित किया गया कि प्रार्थी के पास अपने मकान पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण के मकान स्वंय की खातेदारी भूमि में स्थित है। प्रार्थीगण के पास चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त भूमि ग्राम भालपुर में स्थित है। प्रार्थीगण ने ग्राम भालपुर के खसरा नंबर 144, 145, 157, 158, 159 में होकर स्वंय की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 146 जिसमें आवास बने हुए है तक धारा 251क के तहत रास्ता चाहा गया है चाहे गए रास्ते की भूमि मौके पर खाली है, किसी प्रकार का किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। खसरा नंबर 144 में से 248 वर्गमीटर, 145 में से 30 वर्गमीटर, खसरा नंबर 159 में से 150 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 158 में से 340 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 157 में से 390 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में चाही गई है जिसे संलग्न नक्शा ट्रैस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

दौराने प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 5 ने खसरा नंबर 157, 158, 159 में से 184 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा अर्थात 736 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता आने जाने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम दिनांक 18.07.2022 को समर्पण कर उप पंजीयक सिकराय के समक्ष पंजीकृत करवा दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 5 ने अपना कब्जा भी समर्पण पत्र के माध्यम से छोड दिया। तत्पश्चात केवल खसरा नंबर 144 एवं 145 की हद तक ही विवादि शेष रहा है, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत सुनवाई कर दिनांक 22.07.2022 को इस आशय का निर्णय पारित किया "प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 क स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि खसरा नंबर 145 में होकर 4 मीटर चौडा कुल 30 वर्गमीटर भूमि एवं खसरा नंबर 144 में से 4 मीटर चौडा एवं 62 मीटर लम्बाई अर्थात कुल 248 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी. की दुगुनी राशि प्रार्थी से जमा कर किस्म गै0मु0 रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस में दर्ज करें। तथा उक्त डी0एल0सी0 की राशि खसरा नंबर 144 एवं 145 के खातेदारों को दी जावे। तथा अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।"

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2023 को इस आशय का निर्णय पारित किया कि " अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा विचारणी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय का निर्णय दिनांक 22.07.2022 अपास्त किया

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान की तलबी सुनिश्चित करें रे.स. 8 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने का अवसर देते हुए तथा अपीलाण्टस अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा जवाब में प्रस्तुत तथ्यों की जांच करते हुए तथा चाहे गये रास्ते एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपने जवाब में दर्शाये गये वैकल्पिक रास्ते बाबत आवश्यक जांच करते हुए तथा प्रकरण में पक्षकारान से राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।"

इस प्रकार पत्रावली माननीय न्यायाल भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। आदेशानुसार प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों की सुनवाई हेतु सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रार्थी की ओर से श्री कैलाश चन्द्र बैंसला ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार तहसीलदार सिकराय से प्रकरण में पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई।

आदेशानुसार प्रकरण में तहसीलदार सिकराय, भू–अभिलेख निरीक्ष मीना सीमला तथा पटवारी हल्का उदयपुरा द्वारा प्रकरण में जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 इस आशय की पेश की है कि " राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम भालपुर के खसरा नंबर 144 व 145 में से क्रमशः 248 वर्गमीटर, 30 वर्गमीटर भूमि 251क के तहत गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया था जिसकी लम्बाई लगभग 70 मीटर है एवं खसरा नंबर 157, 158, 159 में से होकर गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मौके पर वैकल्पिक रास्ते हेतु निरीक्षण चारो ओर किया गया, वैकल्पिक रास्ते में खसरा नंबर 109 गै0मु0 रास्ता से लगते हुये खातेदारी के खसरा नंबर 144, 139 मे होकर खसरा नंबर 142 तक खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से स्वंय के आवागमन हेतु निकाला गया है जो कच्चा रास्ता है। इस कच्चे रास्ते से भी वाादी के आवास तक दूरी लगभग 200 मीटर है। उक्त खसरा नंबर 144, 139, 142 में रास्ता निकालने वाले खातेदारान द्वारा किसी अन्य को रास्ता देने के लिए असहमति व्यक्त की गई। ग्राम भालपुर से नांदरी मुख्य सडक से बैंसला ढाणी तक मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है जो खातेदारी भूमि में से संबंधित खातेदारान द्वारा अपने स्वंय हेतु निकाला गया है। बैंसला ढाणी से वादी के आवास की दूरी लगभग 250 मीटर है जंहा मौके पर कोई रास्ता नहीं है। किसी अन्य को रास्ता दिया जाता है तो खातेदारान सहमत नहीं है।"

तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश उक्त रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थी की ओर से आपत्ति विरूद्ध प्रा0पत्र 251क के तहत तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश तथ्यात्मक

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रिपोर्ट के संबंध में पेश की एवं निवेदन किया कि तहसीलदार सिकराय द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए रिपोर्ट पेश की है इसलिए पुनः रिपोर्ट तलब की जावे। अप्रार्थी के उक्त आपत्ति प्रा0पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों, माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के निर्देशों एवं वैकल्पिक मार्ग के संबंध में पुनः जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व टीम गठित कर प्रकरण में जांच कर इस आशय की रिपोर्ट पेश है कि " राजस्व ग्राम भालपुर खसरा नंबर 144 व 145 में से क्रमश 590/144 रकबा 0.0248 है0 एवं 593/145 रकबा 0.0030 है0 धारा 251क के तहत रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। उक्त दर्ज रास्ते के अंतिम छोर से खसरा 157, 158, 159 में से समर्पण द्वारा खसरा नंबर 146 तक दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नंबर 590/144 एवं 593/145 की लंबाई 70 मीटर है। तथा समर्पणशुदा रास्ते की लंबाई लगभग 180 मीटर है। मौके पर धारा 251क के तहत दिया गया रास्ता एवं समर्पणशुदा रास्ते में फसल खडी है एवं मौके पर रास्ता चालू नहीं है। मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता जो खसरा नंबर 109 गै0मु0 रास्ता से लगते हुये खातेदारी खसरा नंबर 144, 139 में होकर खसरा नंबर 142 तक खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से पंचायत द्वारा सीसी रोड/इन्टरलॉकिंग बना होकर मौके पर चालु है। उक्त सी सी रोड से खसरा नंबर 146 की दूरी लगभग 110 मीटर है। तथा इससे आगे बढते हुए कच्चे रास्ते से खसरा नंबर 146 की दूरी 70 मीटर है। सीसी रोड एवं इससे आगे बढता हुआ कच्चा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त सी सी रोड को खसरा नंबर 146 से जोडने पर बैरवा ढाणी के लोगों का विरोध है उक्त सी सी सडक से खसरा नंबर 146 तक फसल खडी है। ग्राम भालपुर से नांदरी मुख्य सडक से गोठिया ढाणी तक मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन मौके पर चालू है इस रास्ते से खसरा नंबर 146 तक की दूरी लगभग 230 मीटर है। मौके पर फसल इस रास्ते से खसरा नंबर 146 के अन्तिम छोर तक फसल खडी है।"

इस प्रकार प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट तलब करने के पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं है इसलिए पूर्वानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे, तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टो से भी यह बखूबी स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के पास अन्य स्थान से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र 251क खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात, जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिकराय को अवलोकन किया गया। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण जवाब के तथ्यों का अवलोकन करते हुए वैकल्पिक मार्ग की जांच करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। इसलिए प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है अथवा नहीं। तहसीलदार सिकराय, भू–अभिलेख निरीक्ष मीना सीमला तथा पटवारी हल्का उदयपुरा द्वारा प्रकरण में पेश जांच रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 का अवलोकन किया गया जो कि इस आशय की पेश की है कि " राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम भालपुर के खसरा नंबर 144 व 145 में से क्रमशः 248 वर्गमीटर, 30 वर्गमीटर भूमि 251क के तहत गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया था जिसकी लम्बाई लगभग 70 मीटर है एवं खसरा नंबर 157, 158, 159 में से होकर गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मौके पर वैकल्पिक रास्ते हेतु निरीक्षण चारो ओर किया गया, वैकल्पिक रास्ते में खसरा नंबर 109 गै0मु0 रास्ता से लगते हुये खातेदारी के खसरा नंबर 144, 139 मे होकर खसरा नंबर 142 तक खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से स्वंय के आवागमन हेतु निकाला गया है जो कच्चा रास्ता है। इस कच्चे रास्ते से भी वादी के आवास तक दूरी लगभग 200 मीटर है। उक्त खसरा नंबर 144, 139, 142 में रास्ता निकालने वाले खातेदारान द्वारा किसी अन्य को रास्ता देने के लिए असहमति व्यक्त की गई। ग्राम भालपुर से नांदरी मुख्य सडक से बैंसला ढाणी तक मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है जो खातेदारी भूमि में से संबंधित खातेदारान द्वारा अपने स्वंय हेतु निकाला गया है। बैंसला ढाणी से वादी के आवास की दूरी लगभग 250 मीटर है जंहा मौके पर कोई रास्ता नहीं है। किसी अन्य को रास्ता दिया जाता है तो खातेदारान सहमत नहीं है।" उक्त रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश किए जाने के कारण प्रकरण में पुनः तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट तलब की गई है जिसमें अंकित किया है कि " राजस्व ग्राम भालपुर खसरा नंबर 144 व 145 में से क्रमश 590/144 रकबा 0.0248 है0 एवं 593/145 रकबा 0.0030 है0 धारा 251क के तहत रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। उक्त दर्ज रास्ते के अंतिम छोर से खसरा 157, 158, 159 में से समर्पण द्वारा खसरा नंबर 146 तक दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नंबर 590/144 एवं 593/145 की लंबाई 70 मीटर है। तथा समर्पणशुदा रास्ते की लंबाई लगभग 180 मीटर है। मौके पर धारा 251क के तहत दिया गया रास्ता एवं समर्पणशुदा रास्ते में फसल खडी है एवं मौके पर रास्ता चालू नहीं है। मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता जो खसरा नंबर 109 गै0मु0 रास्ता से लगते हुये खातेदारी खसरा नंबर 144, 139 में होकर खसरा नंबर 142 तक खातेदारान

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (सीकर)

द्वारा आपसी सहमति से पंचायत द्वारा सीसी रोड/इन्टरलॉकिंग बना होकर मौके पर चालु है। उक्त सी सी रोड से खसरा नंबर 146 की दूरी लगभग 110 मीटर है। तथा इससे आगे बढते हुए कच्चे रास्ते से खसरा नंबर 146 की दूरी 70 मीटर है। सीसी रोड एवं इससे आगे बढता हुआ कच्चा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त सी सी रोड को खसरा नंबर 146 से जोडने पर बैरवा ढाणी के लोगों का विरोध है उक्त सी सी सडक से खसरा नंबर 146 तक फसल खडी है। ग्राम भालपुर से नांदरी मुख्य सडक से गोठिया ढाणी तक मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन मौके पर चालू है इस रास्ते से खसरा नंबर 146 तक की दूरी लगभग 230 मीटर है। मौके पर फसल इस रास्ते से खसरा नंबर 146 के अन्तिम छोर तक फसल खडी है।''

पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश जांच रिपोर्ट से यह बखूबी जाहिर है कि खसरा नंबर 144 व 145 में से क्रमश 590/144 रकबा 0.0248 है0 एवं 593/145 रकबा 0.0030 है0 धारा 251क के तहत रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। उक्त दर्ज रास्ते के अंतिम छोर से खसरा 157, 158, 159 में से समर्पण द्वारा खसरा नंबर 146 तक दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नंबर 590/144 एवं 593/145 की लंबाई 70 मीटर है। इस प्रकार खसरा नंबर 157, 158, 159 में से समर्पण द्वारा खसरा नंबर 146 तक रास्ता समर्पण द्वारा दर्ज है जो कि तहसीलदार सिकराय जो कि उप पंजीयक सिकराय भी है, की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह शेष रह जाता है कि खसरा नंबर 144 व 145 में से क्रमश 590/144 रकबा 0.0248 है0 एवं 593/145 रकबा 0.0030 है0 धारा 251क के तहत रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है उसे यथावत रखा जावे अथवा तहसीलदार सिकराय की जांच रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक मार्ग यथा ''खसरा नंबर 109 गै0मु0 रास्ता से लगते हुये खातेदारी के खसरा नंबर 144, 139 मे होकर खसरा नंबर 142 तक खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से स्वंय के आवागमन हेतु निकाला गया है जो कच्चा रास्ता है। इस कच्चे रास्ते से भी वादी के आवास तक दूरी लगभग 200 मीटर है। उक्त खसरा नंबर 144, 139, 142 में रास्ता निकालने वाले खातेदारान द्वारा किसी अन्य को रास्ता देने के लिए असहमति व्यक्त की गई। ग्राम भालपुर से नांदरी मुख्य सडक से बैंसला ढाणी तक मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है जो खातेदारी भूमि में से संबंधित खातेदारान द्वारा अपने स्वंय हेतु निकाला गया है। बैंसला ढाणी से वादी के आवास की दूरी लगभग 250 मीटर है जंहा मौके पर कोई रास्ता नहीं है'' से रास्ता प्रदान किया जावे। इस वैकल्पिक मार्ग के संबंध में ही तहसीलदार सिकराय द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.12.2025 पेश की है जिसका अवलोकन किया गया। उक्त सभी वैकल्पिक मार्गो से प्रार्थी की भूमि तक जाने हेतु मार्ग की दूरी

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

खसरा नंबर 144 एवं 145 में से दिए गए रास्ते से अधिक दूरी पर स्थित है तथा उक्त दूरी के अलावा जो कच्चे रास्ते अन्य खातेदारान द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाले गए है, वे भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यदि उक्त वैकल्पिक मार्ग से प्रार्थी का रास्ता दिया जाता है तो उक्त कच्चे मार्ग को भी 251क के तहत रास्ता दर्ज किया जाना होगा जो कि अधिक लंबाई का रास्ता होता है, जो कि धारा 251 क आर0टी0ए0 के प्रावधानो के अनुसार नहीं है। तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2025 अनुसार खसरा नंबर 139 एवं 144 में होकर खसरा नंबर 142 तक खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से जो सी सी रोड/इन्टरलॉकिंग बना है उससे भी प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 146 की दूरी लगभग 110 मीटर है तथा खसरा नंबर 144 एवं 145 में से दिए गए रास्ते की लंबाई केवल 70 मीटर है जो कि कम दूरी है एवं धारा 251क आर0टी0ए0 के प्रावधानों के अनुसार रास्ता दर्ज किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 145 में से मीटर चौडा कुल 30 वर्गमीटर भूमि एवं खसरा नंबर 144 में से 4 मीटर चौडा एवं 62 मीटर लम्बाई अर्थात 248 वर्गमीटर भूमि (वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ख0न0 590/144 रकबा 0.0248 है0 एवं 593/145 रकबा 0.0030 है0) गै0मु0 रास्ता वर्तमान डी.एल.सी. की दोगुनी राशि पर रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त डी.एल.सी. राशि संबंधित खातेदारान को देय होगी(प्रार्थी द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को वर्तमान डी.एल.सी. राशि से घटाकर शेष अन्तर राशि जमा कर खातेदारान को दी जावे)। तथा अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)